न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एलआर / 7065 / 2002 / गंगानगर

रघुवीरसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी मुकाम पोस्ट गुड्डा तहसील उदयपुर वाटी जिला झुन्झूनू राज0 जरिए मुख्तयार आम श्रीपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी मुकाम पोस्ट गुड्डा तहसील उदयपुर वाटी जिला झुन्झूनू ।

अपीलाण्ट

बनाम

1 भूपराम
2 दरबाराराम
पुत्रगण भजनलाल अकवास विश्नोई निवासी चक 4 एलएसएम पोस्ट बाडा तहसील अनुपगढ जिला गंगानगर ।
3. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ0श्रवणकुमार बुनकर , सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 3.2.2021

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट को चक 4 एलएसएम के मुरब्बा नंबर 302 / 400 के 25 बीघा एवं मुरब्बा नंबर 302 / 401 के 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसकी किश्तें अपीलाण्ट द्वारा जमा कराई जाकर खातेदारी सनद दिनांक 2–11–83 को जारी की जा चुकी थी । इसके पश्चात उक्त आराजी के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के तहत शमन

फीस जमा कराने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को आदेश दिनांक 16–10–95 को नियमन आदेश जारी कर दिए । नियमन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुना नहीं गया । इस आदेश के विरूद्व अपीलाण्ट ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कें यहां प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 2–11–2002 से अपील अन्दर मियाद शुमार कर खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि जिला कलेक्टर ने बिना अपीलाण्ट पर नोटिस तामील करवाये तामील को पूर्ण मानकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को नियमन किए जाने के आदेश दिया जो न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत है । प्रार्थी ने कभी भी मुख्यतयारनामा सोहनलाल के पक्ष में नहीं किया। इसलिए सोहनलाल द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का फर्जी इकरारनामें के आधार पर कोई विधिक हक विवादित भूमि पर प्राप्त नहीं होते हैं न ही ऐसे अवैध मुख्यतयारनामें के आधार पर तैयार इकरारनामें के धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत शमन शुल्क जमा करवाया जा सकता है । इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिविरूद्व निर्णय पारित किए हैं, जो निरस्तनीय है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सोहनलाल से बहैसियत मु0आम दिनांक 31–3–82 को 500000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने शमन फीस जमा करवाकर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त कलेक्टर ने रेसपोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नियमन आदेश जारी किए हैं । इस संबंध में विक्रय अनुबन्ध के विनिर्दिष्ट अनुपालना का एक वाद माननीय अपर सेशन न्यायालय में पेश किया है, जिस पर स्थगन आदेश जारी हो चुका है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 सद्भावी क्रेता है जिन्हें नियमानुसार भूमि के नियमन आदेश जारी हुए हैं । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । जिनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जावें । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे.(13)2006 पेज 536 न्यायिक दृष्टांत उधृत किया।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया ।

6. यह निर्विवाद है कि अपीलाण्ट को बतौर भूतपूर्व जागीरदार दिनांक 23–11–61 को विवादित 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था । अपीलाण्ट के मुख्तयार आम द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को 500000/–रूपये में उक्त रकबा का बेचान कर कब्जा सौंप दिया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त कृषि भूमि की समस्त किश्तें जमा करवाकर खातेदारी सनद दिनांक 2–11–83 को प्राप्त कर ली एवं शमन फीस जमा करवाने हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट 4 एसएलएम का मु0 नंबर 302/400 का 25 बीघा एवं 301/401 का 24.10 बीघा कुल 49.100 बीघा पर भूपराम व दरबाराराम ने कब्जा प्राप्त कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए है । समस्त किश्तें जमा है और भूमि फ्रेगमेंट की परिभाषा में नहीं आती है । उक्त रिपोर्ट को प्राप्त कर अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–10–95 द्वारा सशर्त नियमन आदेश जारी कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में किए जाने पर उन्होने अपने आदेश में अंकित किया कि विक्रय अनुबन्ध के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए अपर सेशन न्यायलय अनूपगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 43/2001 विचाराधीन है जिसके संबंध में निर्णय किया जाना है । विक्रय अनुबंध के फर्जी होने अथवा नहीं होने के सबंध में निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट वहां चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 सद्भावी क्रेता है जिन्होंने जरिए मुख्तयार आम से भूमि को क्रय किया है एवं शमन फीस जमा करवाई गई है एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है । विचारण न्यायालय द्वारा सशर्त नियमन आदेश जारी किया है । जिसमें बैयनामा पंजीबद्व करवाकर ही नियमन का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में किया जाना है । विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26–5–93 से लगातार 14–11–95 तक उपस्थिति दर्ज रही है । इसलिए प्रार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजांइश नहीं रहती है । अतः अपील खारिज योग्य है ।

7. उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य